

**राज्य सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1412**  
**07 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए**

**बयाराम में इस्पात संयंत्र**

**1412. श्री मोहम्मद अली खान:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि सरकार ने तेलंगाना के खम्मम जिले में बयाराम में एक समेकित इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए कार्यबल गठित किया है, क्योंकि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) ने कहा है कि संयंत्र व्यवहार्य नहीं है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) इस कार्यबल द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस्पात संयंत्र की स्थापना संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

**उत्तर**

**इस्पात राज्य मंत्री**

**(श्री विष्णु देव साय)**

(क) से (ग): आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014, की 13 वीं अनुसूची की शर्तों के मुताबिक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा तेलंगाना के खम्मम जिले के बयाराम में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने की व्यवहार्यता संबंधी जांच की जानी थी। सेल द्वारा दिनांक 02.12.2014 के व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार इस्पात संयंत्र की स्थापना करना प्रथम दृष्टया वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं है।

बाद में, तेलंगाना के खम्मम जिले में इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने हेतु एक रोडमैप तैयार करने के लिए दिनांक 19.10.2016 को एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसमें केंद्रीय एवं राज्य सरकार, सेल, आरआईएनएल, एनएमडीसी, मेकॉन और एमएसटीसी लिमिटेड के प्रतिनिधि शामिल हैं। दिनांक 27.12.2017 को टास्क फोर्स की अंतिम बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि संबंधित राज्य सरकार मेकॉन के साथ मिलकर रिपोर्ट तैयार करने के लिए आंकड़ों का आदानर्य करेगी जिसके आधार पर प्रदान करेगी और वास्तविक पूर्वानुमान पर का-मेकॉन परियोजना रिपोर्ट को पूरा करेगा।

\*\*\*\*\*